न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, शाहबाद केम्प किशनगंज जिला बारा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री जब्बरसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या — 05 / 2021 दायरा दिनांक 25.08.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामपाल उम्र 63 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति सहरिया निवासी बालापुरा तहसील किशनगंज जिला बारा (राज.)		1. शान्तिबाई पुत्री रामलाल जाति बैरवा निवासी लकडियाई तहसील किशनगंज जिला बारा (राज.) 2. कमला बाई पुत्री रामलाल जाति बैरवा निवासी लकडियाई तहसील किशनगंज जिला बारा (राज) 3. दारक्या बाई पुत्री रामगोपाल जाति बैरवा निवासी लकडियाई तहसील किशनगंज जिला बारा (राज.) 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारा (राज.)

उपस्थित :—

1. श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र वास्ते अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 04.06.1981 आराजी ग्राम बालापुरा खसरा नम्बर 170 रकबा 5.04 बीघा हाल पटवार हल्का जलवाड़ा तहसील किशनगंज

—:निर्णयः— दिनांक 19.11.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14(4) भू—राजस्व अधिनियम — 1970 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06.1981 को ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी क्रम 3 के दादाजी के नाम आवंटित की गयी थी। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध एवं आवंटन प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल आवंटन रिकार्ड एवं अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
4. बहस के द्वौरान प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी क्रम 3 के दादाजी को किया गया आवंटन आराजी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगंज पटवार हल्का जलवाड़ा खसरा नम्बर 170 रकबा 5.04 बीघा अपूर्ण कोरम द्वारा किये जाने आवंटन अवैधानिक होने से निरस्तनीय है ।
5. यह है कि उक्त आंवटन के बाबत् सार्वजनिक स्थल पर उद्घोषणा जारी नही की गई। बिना उद्घोषणा के किया गया आंवटन निरस्तनीय है।
6. यह है कि आंवटित भूमि वक्त आवंटन खाली भूमि नही थी। उक्त भूमि ओकोपाइट की श्रेणी में आती है। आंवटन के पूर्व से ही प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त करता, फसल लेता, चला आ रहा है तथा संवत् 2016 से ही उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी। तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिताजी काबिज काश्त थे। जो 55 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी नियमित काबिज काश्त है। प्रार्थी ने तथा प्रार्थी के पिता ने उक्त आराजी को बडी मेहनत करके, पत्थर ढूंढ खोदकर काबिज काश्त बनाया है। इस वर्ष भी उक्त आराजी में प्रार्थी ने सोयाबीन की फसल बोई है। इसलिये भी यह आवंटन निरस्तनीय है।
7. यह है कि आंवटन में नियमों की पालना नही की है आंवटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही होने से आंवटन निरस्तनीय है।
8. यह है कि अप्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में नही आते है। तथा प्रार्थी भूमिहीन है तथा सहरिया जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है इसलिये भी आंवटन निरस्तनीय है।
9. यह है कि आंवटन प्रार्थना पत्र प्रपत्र 11 में आंवटित प्रयोजनार्थ भूमि ग्राम गीगचा–गीगची तहसील किशनगंज क्षेत्रफल 15 बीघा अंकित किया गया है। इस प्रकार खसरा नम्बर भी अंकित नही किया गया है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अनदेखी कर ग्राम गीगचा की भूमि आंवटन न कर बालापुरा की भूमि आवंटित की गई है तथा अप्रार्थीगण ग्राम लकडियाई के रहने वाले है जिसमें अप्रार्थीगण के पिता ने मिस रिप्रिजेन्टशन कर तथा धोखाधडी से आवंटन करवाया है। जो खारीज होने योग्य है।
10. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 5.04 बीघा में सवत् 2039 में प्रार्थी खसरा टीप में कॉलम नं. 40 में ट्रेसपास रामपाल पुत्र किशना सहर अंकित है तथा उक्त आराजी में संवत् 2019 खसरा नम्बर 170 किशना पुत्र मंगला सहर कालम नं. 41 है। न तोड अंकित है।
11. यह है कि खसरा टीप संवत् 2023 में खसरा नम्बर 170 रकबा 5.04 बीघा प्रार्थी का पिता किशना पुत्र मंगला टीप अंकित है। कालम नं. 41 में अंकित है तथा उक्त आराजी खसरा टीप संवत् 2023 में दिनांक 06.06.1965 को रामप्रताप पुत्र जमनालाल सहरिया के अलोट हुई है। जिसका नोट कॉलम नं. 41 में अंकित है। इस प्रकार उक्त आराजी को अप्रार्थीगण के पिता को पुनः आंवटन कर दिया है। जो अवैधानिक है तथा रामप्रताप पुत्र जमनालाल प्रार्थी के मामा का लडका है। लेकिन रामप्रताप पुत्र जमनालाल सहरिया ने भी उक्त आराजी पर कभी काश्त नही किया है । तथा रामप्रताप पुत्र जमनालाल सहरिया भी लाऔलाद फौत हो चुका है इस

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार अप्रार्थीगण के पिता को किया गया अवैधानिक आंवटन निरस्तनीय है । आराजी के हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.8400 हैक्टर कायम हुये है।

12. यह है कि आंवटी रामलाल पुत्र गणेशराम जाति बैरवा जो अप्रार्थीगण का पिता/दादा है फौत हो चुका है तथा रामगोपाल पुत्र रामलाल भी फौत हो चुका है। अप्रार्थीगण वारीसान होने से पक्षकार बनाया गया है जमनालाल भी फोत हो चुकी है।

13. यह है कि आराजी सम्मानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है श्रीमान् को श्रवणाधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि आंवटन दिनांक 04.06.1981 आंवटन परामर्श दात्री समिति मुकाम छत्रगंज खसरा नम्बर 170 रकबा 5.04 बीघा बालापुरा पटवार हल्का जलवाडा निरस्तनीय उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.8400 हैक्टर कायम है। उक्त आंवटन निरस्त करने की कृपा करें। प्रार्थी के नाम आंवटन की सिफारिश कर प्रार्थी के नाम नियमित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

14. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि मद नं. 1 प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी के पक्ष में विधिनुसार आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा का आंवटन दिनांक 04.06.1981 को होना स्वीकार है, शेष मद हाजा असत्य होने से अस्वीकार है।

15. यह है कि मद नं. 2 प्रार्थना–पत्र मन गढन्त होने से अस्वीकार है, एंव कथन है कि अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा का आंवटनशुदा आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा पर आंवटन के पूर्व से ही कब्जा बदस्तूर चला आ रहा था। अप्रार्थी द्वारा आंवटनशुदा आराजी के फार्म में भी विवादित आराजी कब्जें में पूर्व से दर्ज होने का कथन स्पष्ट रूप से किया गया था, अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आते थे, इसी कारण रामलाल जी के पक्ष में विवादित आराजी पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर एलोटमेंट कमेटी द्वारा विधिनुसार आंवटन बाबत् सार्वजनिक स्थान पर उद्वघोषणा जारी कर चस्पा कर दिनांक 04.06.1981 को विधिनुसार आंवटन किया गया था।

16. यह है कि मद नं. 03 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त एवं काल्पनिक होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण क्रम–1 से 3 को लगातार कब्जे काश्त के आधार पर आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा पर अप्रार्थीगणों को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

17. यह है कि मद न. 4 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त होने से एंव जिस प्रकार लिखि गई है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगणों के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा का आंवटन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर एलोटमेंट कमेटी द्वारा विधिनुसार किया गया था, जिसमें अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा द्वारा किसी भी प्रकार से छल या मिस–रिप्रिजेन्टेशन का सहारा नही लिया गया है। प्रार्थी के आरोप बेबुनियाद एंव निराधार है।

18. यह है कि मद नं. 5 प्रार्थना पत्र मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है । एवं कथन है कि अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा भूमिहीन कृषक होने के कारण ही पुराने कब्जे काश्त के आधार पर एलोटमेंट कमेटी द्वारा विधिनुसार विवादित आराजी का आंवटन किया गया था।

19. यह है कि मद नं. 6 प्रार्थना पत्र मनगढन्त होने से अस्वीकार है, एंव कथन है कि अप्रार्थी का आंवटनशुदा आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा पर आंवटन के पूर्व से ही कब्जा

Scanned with OKEN Scanner

बदस्तूर चला आ रहा है। लगातार कब्जे काश्त के आधार पर विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा द्वारा किसी भी प्रकार से छल या मिस–रिप्रजेन्टेशन का सहारा नही लिया गया है। उनके पक्ष में हुए आंवटनशुदा आराजी के आंवटन को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है।

20. यह है कि मद नं. 7 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का आंवटनशुदा आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, न ही कभी विवादित आराजी के खसरा नं. 170 की कभी तरमीम हुई है, प्रार्थी नकनीकी कमियॉ बताकर 42 वर्षो बाद किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी जीवनकाल में एलोटमेन्ट कमेटी के समक्ष दर्ज करवा सकता था। किन्तु जानबूझकर प्रार्थी ने ऐसा नही किया अब प्रार्थी अप्रार्थीगणों के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा आराजी पर जबरन ताकत के बल पर अप्रार्थीगणों को बेदखल करके कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

21. यह है कि मद नं. 8 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है, एंव कथन है कि आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा पर अप्रार्थी को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिसके बाद सेटलमेन्ट हाल खसरा नं. 197 रकबा 0.8400 हैक्टेयर दर्ज हो चुके है। अस्तु प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

22. यह है कि मद न. 09 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है । प्रार्थी अपने अभिवचनों से अधिक कुछ भी कहनें का अधिकारी नही है।

23. यह है कि मद न. 10 प्रार्थना–पत्र मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण क्रम–1 तथा 2 के पिता एंव अप्रार्थी क्रम–3 के दादाजी रामलाल बैरवा फौत हो चुके है। अस्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई विधिक औचित्य नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

24. अंत में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया की उपरोक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को वर्ष 1981 में ही प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद उपरोक्त नियमों में आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता हैं। साथ ही निवेदन किया कि खातेदारी अधिकार मिलने से पहले ही नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

25. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विवादित आराजी पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर एलोटमेंट कमेटी द्वारा विधिनुसार आंवटन बाबत् सार्वजनिक स्थान पर उद्घघोषणा जारी कर चस्पा कर दिनांक 04.06.1981 को विधिनुसार आंवटन किया गया था जो कानूनन सही हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

26. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते हैं कि राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के आदेश क्रमांक प.6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में यह स्पष्ट हैं कि किसी व्यक्ति के पास नियमन के समय कुल भूमि (जिसमें नियमित की जाने

Scanned with OKEN Scanner

वाली भूमि भी सम्मिलित हैं) 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक नही होनी चाहिये, जबकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे जाहिर हो की वक्त आवंटन अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता। अतः पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदियों एवं दस्तावेजों से यह जाहिर होता हैं कि एलोटमेंट कमेटी द्वारा विधिनुसार आंवटन किया गया था जो कानूनन सही हैं।

27. यह हैं कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के अधिवक्ता का यह कथन भी स्वीकार योग्य हैं कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद उपरोक्त नियमों में आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता हैं। साथ ही निवेदन किया कि खातेदारी अधिकार मिलने से पहले ही नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं। प्रार्थी का यह कथन स्वीकार्य नहीं है आवंटन से पूर्व विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा था आवंटन भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी किन्तु आवटंन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी की श्रेणी में आता है। चूकिं यह कानूनी कब्जा नहीं है इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और इनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

28. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से खारीज किया जाता हैं। तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06.1981 को अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी कम 3 के दादाजी रामलाल पुत्र गणेशराम जाति बैरवा निवासी लकडियाई तहसील किशनगंज को ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नं. 170 रकबा 5.04 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली माफिक निर्णय फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखील दफ्तर हो।

29. आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner